न्याय

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
131/2017	धारा 91 एल.आर.एक्ट	06.11.2017	21.12.2017

उनवान सरकार बनाम श्री शान्तनू पुत्र मदनलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्वत 2074 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सहड़ की राजकीय भूमि गै0मु0जोहड़ ख0न0 209 कुल रकबा 31.50 है0 किस्म गै0मु0जोहड़ में से 0.30 है0 भूमि पर अतिकमी श्री शान्तनू पुत्र मदनलाल जाति अहीर निवासी सहड ने अवैध रूप से तार बाड़ बनाकर कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी के नोटिस की तामिल भाई से करवाई गयी उसके बावजूद अनुपस्थित रहा। साक्ष्य/सबुत नोटिस जबाब पेश जाने में असफल रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में तार बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिकमण किये जाने के फलस्वरूप अतिकमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से तार बाड़ बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 12.32/— का अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.30 की 50 गुणा जुर्माना राशि 15/-- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0अ0निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 21.12.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भँवरलाल कुमावत)
नायब तहसीलदार बुहाना
(कार्यवाहक तहसीलदार बुहाना)

Scanned by CamScanner